30/4/25. पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर हैं। प्रतिवादी सं 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16 के समन पुनः इस अभियुक्ति के साथ लौटे हैं कि - "प्राप्तकर्ता उक्त पते पर नहीं रहता है।" न्यायालय द्वारा दिनांक 07/02/2025 को वादी को आदेशित किया गया था कि प्रतिवादीगणों के सही रजिस्टर्ड डाक पते के साथ संशोधित उनवान पेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:56:52 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

महेश कुमार बनाम रप्पू व अन्य

सहायक कलक्टर
...पुर शहर प्रथम

6/20 07/24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
30/4/25	करें, उसी अनुरूप सही पते पर रजि० डाक से समन जारी हो। न्यायालय आदेश के उपरान्त भी वादी, प्रतिवादीगणों के सही रजिस्टर्ड पता पेश करने में विफल रहा है। अतः न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से आदेश 6 नियम 14 क (5) CPC के प्रावधानों के तहत कार्यवाही रोकी जाती है। सही पते का उनवान पेश होने पर वाद में अग्रिम कार्यवाही हेतु [illegible] किया जायेगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sarita Sharma Date: 2025.05.14 14:36:52 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर ... प्रथम	